BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO 11/2022 (CZ)

IN THE MATTER OF:

BAKIR ALI RANGWALA — **APPLICANT(S)**

VERSUS

STATE OF MP & ORS. — **RESPONDENT(S)**

INDEX

SNO	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE NO
1.	Action Taken Report on behalf of State of Madhya Pradesh		2-8
2.	Affidavit		9
3.	The Copy of Letter bearing Letter No. SDM Nagar/Reader-1/2026/232 dated 13.02.2026	R – 1	10-11
4.	A copy of the demarcation report with relevant documents	R – 2	12-35

Date: 18.02.2026

Place: Bhopal

Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO 11/2022 (CZ)

IN THE MATTER OF:

BAKIR ALI RANGWALA	**APPLICANT(S)**
VERSUS	
STATE OF MP & ORS.	**RESPONDENT(S)**

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 04.02.2025

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HERE IN UNDER:

1. That, Issue raised in this application is encroachment on the water body / pond / public talab situated in Survey No. 1281 admeasuring around 36 bighas approximately, known as Govardhan Sagar near Nagar Kot Mata Temple in the city of Ujjain. It is further alleged that the untreated water is also being discharged in the water body polluting the water quality of underground water and the pond area has also been used for commercial and construction activities.
2. That, it is most respectfully submitted that the Hon'ble Tribunal vide its order dated 23.01.2026 issued directions which are reiterated hereinbelow for the kinf perusal of this Hon'ble Tribunal:

   "14. We direct the Collector/Municipal Corporation concerned to take remedial measures and ensure that there shall not be any discharge of untreated water into the water bodies and take concrete action for removal of the encroachments within a limited time in mission mode. They are also directed to file the compliance report before the next date

of hearing so that the same can be reviewed by the Tribunal on the next date……

…16. Learned Counsel for the State of Madhya Pradesh Mr. Prashant M. Harne has sought a short time to file response/action taken report. The same may be filed within two weeks.”

3. It is most humbly submitted that, vide letter No./Reader-1/2026/140 dated 13.02.2026, the Tehsildar, Ujjain City, submitted that even prior to the institution of the aforesaid proceedings, the administration had undertaken measures for the conservation and protection of the Saptasagars (Seven Lakes) and other water bodies in accordance with the applicable statutory provisions. For identification and removal of encroachments, a joint team was constituted vide Order No. /Q/Re-1/2020 dated 18.07.2020 by the Office of the Sub-Divisional Officer, Ujjain City. Demarcation of the Saptasagars was conducted in the joint presence of officials of the Municipal Corporation. Upon demarcation, it was reported that:

i) **Rudrasagar**, situated near the Mahakal Temple, is bounded by the Temple and Mahakal Lok on one side and by roads on the remaining sides, with no habitation or encroachment found along its periphery.

ii) **Kshirsagar**, located in the city center in the form of a Kund, is secured on all four sides with ancient stone masonry and remains structurally protected.

iii) **Purushottam Sagar** is surrounded by roads and open land on all sides, and no encroachment was detected during demarcation.

iv) **Vishnu Sagar**, situated near Ram Janardan Temple at Village Bhitri, is protected by dense vegetation along its banks, with no residential occupation along its boundary.

v) **Ratnakar Sagar**, located at Village Undasa, Tehsil Ujjain Rural, was also examined.

vi) **Pushkar Sagar**, situated in Naliya Wakhal, Ujjain, exists in the form of a Kund/Baori, secured with stone masonry on all sides; though located within a populated area, its water structure remains intact and protected.

4. It is also submitted that, with respect to Govardhan Sagar (Survey No. 1281), demarcation was earlier conducted pursuant to this office letter No. 1185 dated 18.07.2022 for its conservation and protection. In further compliance with paragraph 04 of the order dated 04.02.2025 passed in O.A. No. 11/2022 by the Hon'ble NGT, a fresh demarcation was carried out by a team constituted under the direction of the Tehsildar, Ujjain City and the Superintendent of Land Records, District Ujjain, employing modern survey techniques. The demarcation report has been duly submitted before the Hon'ble Tribunal.

5. It is further submitted that, consequent to the said demarcation, removal action was undertaken against encroachments over Survey No. 1281, resulting in demolition/removal of 24 kiosks (gumtis) situated on the eastern side of Ankpat Marg, 07 residential structures located on the north-eastern side, and 02 boundary walls constructed on the south-eastern and western sides. Further action for removal of illegal constructions in proximity to the water body is being carried out by the UMC in accordance with the applicable statutory provisions and regulatory framework. The Copy of Letter bearing Letter No. SDM Nagar/Reader-1/2026/232 dated 13.02.2026 is marked and annexed herewith as **Annexure R – 1.**

6. It is most humbly submitted that, the identification of encroachments over Govardhan Sagar land bearing Survey No. 1281 was undertaken by the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ujjain. Out of the total recorded area of 7.716

hectares, permanent and temporary constructions admeasuring approximately 1.150 hectares were identified by the concerned Patwari/Revenue Inspector, Circle-1, and a detailed list of such constructions was prepared during demarcation. A copy of the demarcation report with relevant documents is marked and annexed herewith as **Annexure R – 2.**

7. It is submitted that, pursuant to the list submitted by the Kasba Patwari, Halka No. 05 on 22.07.2022, notices were issued to 100 alleged encroachers on 16.09.2022 and again on 10.01.2025. Thereafter, stay orders were obtained by certain encroachers: five persons situated at Ganesh Tekri obtained interim protection from the Court of Civil Judge, Junior Division, Ujjain on 10.02.2023 and 02.08.2023; fifty-two encroachers obtained stays from the Court of Fourth Civil Judge, Senior Division, Ujjain on 13.02.2023 and from the Hon'ble High Court, Bench at Indore on 10.01.2025.
8. It is most humbly submitted that, out of the remaining 43 encroachments, seven permanent constructions have been removed. Thirty-six cases remain pending, comprising 25 structures at Ankpat Marg and 11 at Ganesh Tekri.
9. It is also submitted that, with respect to Ankpat Marg, 20 encroachers have submitted documents including registered sale deeds, building permissions, mutation entries, and a copy of the Tehsildar's order dated 31.05.1983. The documents reflect Survey Nos. 1289 and 1286, and the structures are stated to be situated on the western side of Ankpat Marg. It is submitted that Survey No. 1281 (Govardhan Sagar land) lies on the eastern side of Ankpat Marg, which is a major public thoroughfare separating Survey Nos. 1289 and 1286 from Survey No. 1281. Five encroachers at Ankpat Marg have not submitted replies; final notices have been issued and further action shall be taken upon receipt and verification of responses.

10. It is further submitted that, regarding Ganesh Tekri, all 11 encroachers have submitted replies citing Survey Nos. 1116, 1117, and 1112 along with lease deeds (patta) dated 31.07.2008. Verification of the documents is underway pursuant to letter dated 16.01.2026, and appropriate action shall be taken upon completion of verification.
11. That, in light of the order dated 03.01.2025 passed by the Hon'ble NGT and the subsisting stay orders, legal opinion was obtained from the learned Additional Advocate, Indore on 13.01.2025. Acting upon such advice, applications for vacation of stay have been filed before the competent Civil Court on 17.01.2025. The matters are presently listed on 24.02.2026, 26.02.2026, and 27.02.2026.
12. It is submitted that, temporary encroachments situated near the lake area have been removed, and the vacant land has been secured by wire fencing. A progress report in this regard was submitted on 22.01.2025.
13. That, upon inspection dated 09.10.2025 by the Sub-Engineer and Assistant Engineer of the Municipal Corporation, it was confirmed that sewerage and drainage water from Ganesh Tekri is no longer entering Govardhan Sagar. Under the Chief Minister Infrastructure Scheme, a new drain has been constructed diverting such flow. Additionally, drainage from V.D. Cloth Market is being conveyed to the Surasa Treatment Plant through a sewer pipeline.
14. It is submitted that, subsequently, on 09.02.2026, a joint inspection was conducted by officials of the MP Pollution Control Board and Municipal Corporation. It was observed that wastewater from approximately 20–30 houses in Shriram Colony was entering the lake through household drains. Immediate remedial action was undertaken by the Public Health Engineering Department, and at present no wastewater is entering Govardhan Sagar.

15. That, in compliance with O.A. No. 20/2025 (CZ) (Prashant Maurya vs. State of M.P. & Others), inspections of the remaining Saptasagar lakes were conducted:

    i) **Rudrasagar, Kshirsagar, Pushkarsagar, Purushottam Sagar, and Vishnu Sagar:** Inspections by designated building and engineering officials confirmed that no sewerage, drainage water, or solid waste is entering these lakes. All wastewater is being diverted through pipelines to the Surasa Treatment Plant. No encroachments were found.

    ii) **Ratnakar Sagar (Undasa Pond):** Being outside Municipal Corporation limits, it is maintained by the Water Resources Department. Correspondence has been issued to the concerned department to ensure protection from encroachment and prevention of discharge of sewage or solid waste.

16. It is submitted that, with respect to soil filling along lake peripheries, letters dated 14.02.2025 were issued to the concerned building officers, and removal action is underway.

17. It is most humbly submitted that, under AMRUT 1.0, a 92.5 MLD STP has been established at Surasa village and is operational, with approximately 16,000 household connections presently linked. Seven major drains have been connected under the Jaisinghpura I&D scheme. Currently, an average of 32.3 MLD wastewater is being treated. An 83 MLD Waste Stabilization Plant is operational at Sadawal. Under AMRUT 2.0, the sewerage project has achieved 25.43% physical progress. Under the MNCG scheme, a project has been approved for construction of a 22.06 MLD STP and 2.38 MLD CETP for treatment of wastewater from Bhairavgarh and Piliyakhal drains.

18. That, with respect to the environmental compensation of Rs. 3.00 Crore imposed by order dated 24.11.2025, it is respectfully submitted that the STP

was established in 2022 and was operating under partial trial and run condition at the relevant time.

19. Demarcation of Survey No. 1281 was conducted on 08.12.2025. As per the demarcation report, map partitioning (batankan) of Survey No. 1281/1/1 has not been undertaken and a substantial portion constitutes water area; hence, further subdivision and precise marking on the revenue map is not feasible.
20. The above facts are submitted for kind perusal and appropriate orders of the Hon’ble Tribunal.
21. That it is most humbly submitted that, a detailed and comprehensive Action Taken Report alongwith all the relevant documents have been submitted by the Ujjain Municipal Corporation and therefore, to avoid the repetition documents are not being filed with this Action Taken Report.
22. An affidavit in support of this Action Taken Report is filed herewith.
23. The Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the present report on record.

Date: 18.02.2026

Place: Bhopal

Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

2468

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. 31/2026

In the matter of:

MONU RAJA ... APPLICANT(S)

Versus

UNION OF INDIA & ORS. ... RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Shashwat Sharma S/o Late Shri Shashikant Sharma, aged about 59 years, posted as – Upper Collector, Ujjain, office at – Upper Collector, Collectorate, Ujjain (M.P.) do hereby state on oath and solemnly affirm as under :

1. That, I am Respondent no. 4 in this instant matter and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.
2. That, the accompanying Interlocutory Application has been prepared and filed as per my instructions and has also been explained to me.
3. That, the contents of the accompanying Interlocutory Application are true to my knowledge based upon official records and legal averments made therein are true on the legal advice and believed to be true.

Noted And Registered
at Sr. No. 2610
Date 18/2/26
Time 5:30 am/pm

DEPONENT

VERIFICATION

I, above-described deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this _____ day of _________ 2026 at ___________(M.P.)

PREETI THAKUR Notary ...
appointed and Authorised under Notaries
Act 53 of 1952 and notaries Rules 8 (4) of the 1956
Residing at UJJAIN (M.P.) do here by Certify that

DEPONENT

sworn before me on the 18 day of 18/2/26
20_______ by ______________
Who has been Identified by ______________
Shashwat Sharma s/o late Shri Shashikant R/o Ujjain
who is personally known to me
whose Signature (s) is/are here to appended

ATTESTED 18/2/26

NOTARY
DISTRICT UJJAIN (M.P.)

2469

ANNEXURE R-1

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

क्रमांक/एस.डी.एम. नगर/रीडर–1/2026/232 उज्जैन, दिनांक:– 13/02/2026

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला– उज्जैन

विषय:– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल प्रकरण क्रमांक 20/2025 (CZ) (प्रशांत मौर्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) With प्रकरण क्रमांक 11/2022 (CZ) (I.A. No. 115/2024 & I.A. No. 123/2025 (बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 23.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन का पत्र क्रमांक/अपर.कले./2461/2026 उज्जैन दिनांक 04.02.2026

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल प्रकरण क्रमांक 20/2025 (CZ) (प्रशांत मौर्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) With प्रकरण क्रमांक 11/2022 (CZ) (I.A. No. 115/2024 & I.A. No. 123/2025 (बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 23.01.2026 को पारित आदेश के पालन में प्रति पालन रिपोर्ट चाही गई है।

उक्त संबंध में तहसीलदार उज्जैन नगर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया, तहसीलदार उज्जैन नगर द्वारा पत्र क्रमांक/रीडर–1/2026/140 उज्जैन दिनांक 13.02.2026 से प्रतिवेदित किया कि उक्त प्रकरण दर्ज होने के पूर्व से ही सप्तसागरो एवं जलीय संरचनाओं के संरक्षण एवं रखरखाव के लिए नियमो के अंतर्गत प्रशासन द्वारा प्रयास किए गए है। प्रयासों के अन्तर्गत सप्तसागरों में अतिक्रमण हटाने एवं चिन्हित करने के लिए पूर्व में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग– उज्जैन नगर के आदेश क्रमांक/क्यू/री–1/2020 उज्जैन दिनांक 18.07.2020 को दल गठित कर नगर पालिक निगम कर्मचारियों के संयुक्त उपस्थिति में सप्तसागरों के सीमांकन कराये गए है।

उपरोक्त सप्तसागरों में रूद्रसागर जो कि महाकाल मंदिर के समीप स्थित है उक्त रूद्रसागर के एक ओर महाकाल मंदिर, महाकाल लोक तथा तीन ओर सडक से घिरा हुआ है जो चारो ओर से सुरक्षित है उक्त सागर के किनारे कोई मानवीय बसाहट या आबादी नही है। अतः कोई अतिक्रमण नही है।

उक्त सागरो में क्षीरसागर जो कि शहर के मध्य में स्थित है उक्त सागर एक कुण्ड के रूप में स्थित है उक्त कुण्ड के चारो ओर प्राचीन समय से पत्थरों से चिनाई की गई है और आज भी कुण्ड का जलीय संरचना पत्थरो से चिनाई के अंतर्गत होकर पूरी तरह सुरक्षित है।

सप्त सागरो में एक पुरूषोत्तम सागर है जिसके दक्षिण दिशा की ओर सडक, पश्चिम एवं उत्तर की ओर खुला क्षेत्र पूर्व की ओर सडक है सागर चारो ओर सुरक्षित है सीमांकन में कोई अतिक्रमण नही पाया गया है।

सप्त सागरो में विष्णु सागर जो कि ग्राम भीतरी उज्जैन में प्रसिद्ध राम जनार्दन मंदिर के पास स्थित है। उक्त सागर के चारो तटीय भाग सघन पेड पौधो से आच्छाहित होकर सुरक्षित है।

उक्त सागरो के चारो तटीय मार्ग पर किसी प्रकार की आवासीय संरचना स्थित नही है उक्त सागर भी सुरक्षित स्थिति में हे।

उक्त सागरो में एक सागर रत्नाकर सागर है जो कि ग्राम उण्डासा तहसील उज्जैन ग्रामीण में स्थित है

सप्त सागरों में एक पुष्कर सागर है जो कि कस्बा उज्जैन के नलिया बाखल क्षेत्र है जो कि एक सागर के रूप नही होकर एक कुण्ड/बाबडी के रूप है तथा बावडी की वस्तुतः चारो ओर से पत्थरो से चिनाई की हुई है। बावडी चिनाई किए हुये जलीय भाग सुरक्षित है। उक्त कुण्ड आबादी क्षेत्र में स्थित है।

सप्तसागरों में गोवर्धन सागर के संबंध में उसके संरक्षण एवं रखरखाव के लिए पूर्व में इस कार्यालय के पत्र कमांक 1185 दिनांक 18.07.2022 के पालन में गोवर्धन सागर की भूमि सर्वे कमांक 1281 का सीमांकन कराया जाकर उस पर निर्मित अस्थाई एवं स्थाई निर्माणो को हटाने के लिए चिन्हांकन किया गया तथा इसके पश्चात माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्र.क. 11/2022 (बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 04.02.2025 में पारित आदेश के बिन्दु कमांक 04 के अनुपालन में कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार उज्जैन नगर एवं अधीक्षक भू-अभिलेख जिला उज्जैन के निर्देशन में गठित दल द्वारा वर्तमान में उपलब्ध नवीन तकनीक के माध्यम से सर्वे कमांक 1281 का सीमांकन किया जाकर सर्वेक्षण रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. में प्रस्तुत की गई है।

कार्यवाही के अंतर्गत गोवर्धन सागर भूमि सर्वे कमांक 1281 के पश्चिम में अंकपात मार्ग सडक के पूर्वी भाग स्थित 24 गुमटियों तथा उत्तर पूर्व में 07 आवासीय संरचनाओं एवं दक्षिण पूर्व पश्चिम में निर्मित 02 बाउण्ड्रीवाल को हटाया जा चुका है।

उक्त भूमि पर निर्मित निर्माणो को हटाने की कार्यवाही जलीय संरचनाओं के आसपास निर्माणो पर लागू होने वाली शर्तो व नियमों पर आधारित है। जिसके पालन और उस पर अवैध निर्माणो के हटाने की कार्यवाही संबंधित नगरीय निकाय द्वारा की जाना है जिसके पालन में नगर पालिक निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान की ओर सादर प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

2

कार्यालय, नगर पालिक निगम उज्जैन (म.प्र.)

Annexure - 2

क्रमांकः ...214/2026 उज्जैन, दिनांक :- 17/2/26

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला उज्जैन

विषय :- **गोवर्धन सागर में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रकरण क्रं.** Original Application No. 11/2022(CZ) I.A. No. 115/2024 & I.A. No. 123/2025 **के संबंध में आप महोदय द्वारा दिये गए निर्देशो के क्रम में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्।**

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रं. 11/2022 (CZ) (I.A.No 115/2024)(बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) गोवर्धन सागर से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अतिक्रमण का चिन्हांकन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन द्वारा किया गया। सर्वे क्रं. 1281 खसरे में अभिलिखित कुल रकबा 7.716 हे0 में से 1.150 हे0 पर स्थाई एवं अस्थाई निर्माणों को मौजा पटवारी/राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 द्वारा चिन्हित किया गया एवं सीमांकन के दौरान निर्मित स्थाई/अस्थाई निर्माणों की सूची प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत सूची दिनांक 22.07.2022 कस्बा पटवारी हल्का नं. 05 अनुसार 100 अतिक्रामको को दिनांक 16.9.2022 को सूचना पत्र जारी किये गए। पुनः दिनांक 10/01/2025 को 100 अतिक्रामको को सूचना पत्र जारी किये गए। जिसमें गणेश टेकरी स्थित 5 अतिक्रामकों के द्वारा दिनांक 10.02.2023 एवं 02.08.2023 के स्थगन माननीय न्यायाल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन म.प्र. द्वारा प्रस्तुत किये गए। एवं 52 अतिक्रमणकारियों द्वारा न्यायालय चतुर्थ वर्ग न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन दिनांक 13.02.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 10.01.2025 के स्थगन प्रस्तुत किये गए है। शेष 43 में से 7 स्थाई निर्माण हटाये जा चुके है।

कुल 36 अतिक्रमण जो कि अंकपात मार्ग पर (25) व गणेश टेकरी पर (11) स्थित है। इनमें से अंकपात मार्ग के 20 अतिक्रामक के द्वारा रजिस्ट्री, भवन निर्माण अनुज्ञा, नामान्तरण, प्रतिलिपि आदेश दिनांक 31/05/1983 न्यायालय तहसीलदार तहसील उज्जैन, पत्र की छायाप्रति आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गए है रजिस्ट्री में सर्वे नं. 1289 एवं 1286 दर्शाया जाकर भवन अंकपात मार्ग पर स्थित होना बताया गया है। उपरोक्त स्थित भवन अंकपात मार्ग की पश्चिम दिशा में स्थित है एवं गोवर्धन सागर की भूमि सर्वे नं. 1281 अंकपात मार्ग की पूर्व दिशा की ओर स्थित है सर्वे नं. 1289, 1286 सर्वे नं. 1281 के मध्य अंकपात मार्ग स्थित है जो शहर का व्यस्ततम प्रमुख मार्ग होकर जहां से सिंहस्थ की पेशवाई एवं अन्य धार्मिक आयोजनों की सवारी निकलती है। अंकपात मार्ग स्थित 25 अतिक्रामकों में से 5 अतिक्रामको के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये गए है। जिन्हे अंतिम सूचना पत्र दिया गया है जिनका उत्तर अपेक्षित है जिनका जवाब प्राप्त होने पर परीक्षण तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। गणेश टेकरी स्थित 11 अतिक्रामक मे से 11 अतिक्रामक के द्वारा जवाब प्रस्तुत किये गए जिसमें सर्वे नं. 1116, 1117 एवं 1112 सर्वे नं. एवं पट्टा 31 जुलाई 2008 प्रस्तुत किये गए है। प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजो के परीक्षण हेतु कार्यालय से दिनांक 16.01.2026 को पत्र जारी किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहर द्वारा किया जा रहा है। दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त प्राप्त आदेशानुसार कार्य किया जावेगा।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के आदेश दिनांक 03/01/2025 एवं प्राप्त स्थगन आदेश के संबंध में माननीय अतिरिक्त अधिवक्ता महोदय इन्दौर से दिनांक 13/01/2025 को अभिमत प्राप्त

किया गया जो प्रकरण में संलग्न होकर अभिमत अनुसार एनजीटी द्वारा पारित आदेश के आधार पर सिविल न्यायालय में स्थगन हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाये।

दिनांक 17.01.2025 को माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी खण्ड उज्जैन के यहां स्थगन आदेश को वैकेट कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मा. न्यायालय द्वारा अलग–अलग प्रकरण मे अलग–अलग तारिख 24/02/2026, 26/02/2026 एवं 27/02/2026, नियत की गई है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के आदेश के पालन में गोवर्धन सागर की भूमि पर तालाब के पास स्थित अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया गया व रिक्त भूमि को सुरक्षित रखने हेतु वायर फेंसिंग का कार्य कर दिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रगति रिपोर्ट दिनांक 22/01/2025 प्रस्तुत की गई थी।

दिनांक 09/10/2025 को गोवर्धन सागर स्थल का निरीक्षण उपयंत्री श्री आनन्द परमार एवं सहायक यंत्री श्री राजकुमार राठौर द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। तद्नुसार गणेश टेकरी का सीवर/ड्रेनेज, नाली का पानी गोवर्धन सागर में नही मिल रहा है। उसकी व्यवस्था नगर पालिक द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत नवीन नाला निर्माण किया गया है उसमें सीवर/ड्रेनेज, नाली के पानी की निकासी कर दी गई है एवं वी.डी. क्लॉथ मार्केट का ड्रेनेज का पानी सीवर पाईप लाईन के माध्यम से सुरासा ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुचाया जा रहा है।

प्रकरण क्रमांक 20/2025 (CZ)(प्रशांत मौर्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) सप्तसागर के संबंध में जानकारी :–

सप्त सागर के संदर्भ में गोवर्धन सागर के संबंध में अद्यतन जानकारी उपरोक्त पेराग्राफ में वर्णित की जा चुकी है। शेष 06 सागरो की जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :–

(A) प्रकरण में रूद्रसागर स्थल का निरीक्षण भवन निरीक्षक श्री मुकुल मेश्राम एवं भवन अधिकारी एल.पी. साहू द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। तद्नुसार सीवर/ड्रेनेज, नाली का पानी रूद्रसागर में नही मिल रहा है। सीवर/ड्रेनेज का पानी पाईप लाईन के माध्यम से सुरासा ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुचाया जाता है। सोलीड वेस्ट नही मिल रहा है एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नही पाया गया है।

(B) प्रकरण में क्षीरसागर स्थल का निरीक्षण भवन निरीक्षक श्री राजेन्द्र रावत एवं भवन अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। तद्नुसार सीवर/ड्रेनेज, नाली का पानी क्षीरसागर में नही मिल रहा है। सीवर/ड्रेनेज का पानी पाईप लाईन के माध्यम से सुरासा ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुचाया जाता है। सोलीड वेस्ट नही मिल रहा है एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नही पाया गया है।

(C) प्रकरण में पुष्करसागर स्थल का निरीक्षण भवन निरीक्षक श्री राजेन्द्र रावत एवं भवन अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। तद्नुसार सीवर/ड्रेनेज, नाली का पानी पुष्करसागर में नही मिल रहा है। सीवर/ड्रेनेज का पानी पाईप लाईन के माध्यम से सुरासा ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुचाया जाता है। सोलीड वेस्ट नही मिल रहा है एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नही पाया गया है।

(D) प्रकरण में पुरूषौत्तम सागर स्थल का निरीक्षण भवन निरीक्षक श्री शिवम गुप्ता एवं भवन अधिकारी डी.एस. परिहार द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। तद्नुसार सीवर/ड्रेनेज, नाली का पानी पुरूषौत्तम सागर में नही मिल रहा है। सीवर/ड्रेनेज का पानी पाईप लाईन के माध्यम से सुरासा ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुचाया जाता है। सोलीड वेस्ट नही मिल रहा है एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नही पाया गया है।

(E) प्रकरण में विष्णुसागर स्थल का निरीक्षण भवन निरीक्षक श्री शिवम गुप्ता एवं भवन अधिकारी डी.एस. परिहार द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। तद्नुसार सीवर/ड्रेनेज, नाली का पानी विष्णुसागर में नही मिल रहा है। सीवर/ड्रेनेज का पानी पाईप लाईन के माध्यम से सुरासा ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुचाया जाता है। सोलीड वेस्ट नही मिल रहा है एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नही पाया गया है।

(F) प्रकरण में रत्नाकर सागर (उण्डासा तालाब) नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर है तथा इसका संधारण जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। रत्नाकर सागर किसी प्रकार का सीवर का पानी एवं सोलिड वेस्ट न मिले एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होवे इस हेतु संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

माननीय राष्ट्रीय अधिकरण भोपाल के आदेशानुसार STP स्थापित करने व सीवर लाईन की उचित कनेक्टिविटी के संबंध में लेख है कि अमृत 1.0 अंतर्गत सुरासा ग्राम में 92.5 MLD का STP की स्थापना की गई है व वर्तमान में लगभग 16000 हाऊस कनेक्शन सीवर लाईन से जोडे गए है व साथ ही 7 नाले भैरवगढ़, ऋणमुक्तेश्वर, तिलकेश्वर, हम्मालवाड़ी, चक्रतीर्थ नाला, मोतीनगर नाला, गउघाट MPS संपवेल का कनेक्शन जयसिंहपुरा I&D तहत जोड़े गए है 92.5 MLD के STP में वर्तमान में औसत 32.3 MLD अपशिष्ट जल उपचारित किया जा रहा है। इसके साथ ही सदावल में 83 MLD का Wast Stablization Plant है जिससे शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित पंप स्टेशन के माध्यम में I&D संरचना से अपशिष्ट जल भेजा जा रहा है।

अमृत 2.0 अंतर्गत सीवेज परियोजना में भी 25.43% की भौतिक प्रगति प्राप्त की गई है। MNCG के अंतर्गत उज्जैन शहर की I&D योजना के तहत भैरवगढ़ व पिलियाखाल नाले के अपशिष्ट जल हेतु कार्य योजना तैयार कर स्वीकृति प्राप्त की गई है जिसमें 22.06 MLD के STP एवं 2.38 MLD के CETP निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 के संबंध में अनुरोध है कि एसटीपी संयंत्र वर्ष 2022 में स्थापित किया जाने उपरान्त आंशिक रूप से चालू किया गया था। नगर पालिक निगम पर अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रू. 3.00 करोड़ में भी "STP is on partial trial & run condition" का उल्लेख किया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा आदेश पर पुनः विचार किये जाने हेतु सादर अनुरोध है।

भूमि सर्वे क्रं. 1281 का सीमांकन तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 08.12.2025 को किया गया है। सीमांकन प्रतिवेदन अनुसार भूमि सर्वे क्रं. 1281/1/1 नक्शा बाटांकन नही होने तथा वादग्रस्थ भूमि सर्वे क्रं. 1281 का अधिकांश भाग जलीय क्षेत्र होने से बाटांकन संभव नही होने से उसकी स्थिति सुनिश्चित करना एवं नक्शे में चिन्हांकन करना संभव नही है। सीमांकन रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है।

दिनांक 9.02.2026 को MPPCB के श्री प्रतीम खरे वैज्ञानिक, श्री देवेन्द्र सोलंकी रसायनक एवं झील संरक्षक प्रभारी श्री विश्वेन्द्र सिंह, नगर पालिक निगम उज्जैन के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाकर स्थल पंचनामा तैयार किया गया जो प्रकरण में संलग्न होकर श्रीराम कॉलोनी स्थित 20–30 घर ढाल क्षेत्र में बने हुए है उनका घरेलु दुषित जल घरों की नालियों के माध्यम से अल्प मात्रा में गोवर्धन सागर में मिलना पाया गया। लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग के संलग्न पत्र अनुसार गोवर्धन सागर में मिल रहे पानी को विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए गोवर्धन सागर में मिलने से रोका गया। वर्तमान किसी प्रकार का अपशिष्ट जल नही मिल रहा है। सप्त सागर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने एवं आसपास के रहवासियों के द्वारा तालाब के किनारे पर मिट्टी डालकर भराव किये जाने के संबंध में संबंधित भवन अधिकारियों को निगम कार्यालय के पत्र क्रमांक 205, 206 दिनांक 14.02.2025 को जारी किया गया है जिसके क्रम में भवन अधिकारी द्वारा मिट्टी उठाने का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत होकर प्रकरण में श्रीमान् के निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त
उज्जैन नगर पालिक निगम

संलग्न :–
(1) अतिक्रमणकर्ताओं की सूची।
(2) माननीय अतिरिक्त अधिवक्ता महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिमत की कॉपी।
(3) MPPCB द्वारा तैयार किये गए स्थल का पंचनामा।
(4) भूमि सर्वे क्रं. 1281 का तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 08.12.2025 किया गया सीमांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट।
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक.स्वा.यां. संधारण खण्ड, नगर पालिक निगम पत्र दिनांक 17.02.2026

(1)

क्रमांक	नाम	पिता /पति	पूर्ण /आंशिक	क्षेत्रफल <वर्ग फीट में>	अन्य विवरण
1	शकुंतला	बाबूलाल यादव	पूर्ण	9*31	
2	लक्ष्मीनारायण पांचाल	तुलसीराम	पूर्ण	13*31	
3	रामचंद्र	तुलसीराम	पूर्ण	17*31	
4	मुरलीधर	बाबूलाल	पूर्ण	10*31	
5	अशोक	बाबूलाल	पूर्ण	10*31	
6	घोटू	बाबूलाल	पूर्ण	18*31	
7	मीना यादव	शंकरलाल	पूर्ण	14*31	
8	कुलदीप जायसवाल	बाबूलाल	पूर्ण	38*31	
9	दिलीप	नाथूलाल	पूर्ण	8*30	
10	(i) संतोष	नाथूलाल	पूर्ण	16*30	
	(ii)विनोद	नाथूलाल		60*30	
11	दिलीप	नाथूलाल	पूर्ण	54*30	
12	महेशचन्द्र	मांगीलाल शुक्ल	पूर्ण	14*30	
13	दिनेश यादव	--	पूर्ण	11*30	
14	सरस्वती	मिश्रीलाल	पूर्ण	19*30	
15	दुर्गाबाई	बाबूलाल कोशल	पूर्ण	27*30	
16	सुरेश यादव	--	पूर्ण	14*30	
17	मनीष कुमार व्यास	--	पूर्ण	21*30	
18	(i)मीनाबाई	बालाप्रसाद	पूर्ण	--	
	(ii)दिलीपकुमार	बालाप्रसाद	पूर्ण	17*20	
19	पुष्पाबाई	राजेंद्र लशकरी	पूर्ण	37*24	
20	जगदीश मालवीय	सिध्धनाथ	पूर्ण	31*58	
21	राजेंद्र जायसवाल	---	पूर्ण	9000 वर्गफीट	13800 रिक्त भाग
22	अनिल	मुन्नालाल जोशी	पूर्ण	2281वर्गफीट	7900 भाग रिक्त 7/0
23	सुनील	रामचंद्र यादव	पूर्ण D-1 (B.P.)	12*25	बी डी क्लाथ मार्केट 7/1
24	अब्दुल मुख्तलिफ	अब्दुल रहमान	पूर्ण D-2 (B.P.)	12*25	[illegible] 7/2
25	राधिका	अमोल झालानी	पूर्ण	12*25	
26	राधिका	अमोल झालानी	पूर्ण		

(2)

क्रमांक	नाम	पिता /पति	पूर्ण /आंशिक	क्षेत्रफल <वर्ग फीट में>	अन्य विवरण	
27	राकेश गुप्ता		पूर्ण D-4 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	713
28	राजेश गुप्ता		D-4 (B.P.)		जवाब प्राप्त	714
29	किरन	जिनेश कुमार	पूर्ण	12*25		715
30	जितेश गोहिल	मिट्ठूलाल	पूर्ण D-6	12*25	जवाब प्राप्त	716
31	सुशीलकुमार	मनीषकुमार	पूर्ण D-7 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	717
32	विपुलकुमार चस्पा	हीरालाल	पूर्ण	12*25		718
33	हस्तीमल चस्पा	राजमल गादिया	पूर्ण D-9 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	719
34	राजेंद्र कुमार	सरदारमल	पूर्ण D-10 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	720
35	गोविंदप्रसाद	प्रभुदयाल	पूर्ण D-11	12*25	जवाब प्राप्त	721
36	गोपाल दास	चतुरमल	पूर्ण V.D. D-12	12*25	जवाब प्राप्त	722
37	माणकलाल दिलीप कोठारी	चम्पालाल माणकलाल	पूर्ण V.D. D-13 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	723
38	किरणजैन	दिलीप कोठारी	पूर्ण (B.P.) D-14	12*25	जवाब प्राप्त	724
39	रमेश बागवानी चस्पा		पूर्ण D-15	12*25	जवाब प्राप्त	725
40	कैलाशचंद्र	समरथमल	पूर्ण D-16 कपाउंड	12*25	जवाब प्राप्त	726
41	उषा जैन	नरेन्द्रजैन	पूर्ण D-17 कपाउंड	12*25	जवाब प्राप्त	727
42	प्रकाशचन्द	मांगीलाल माहेश्वरी	पूर्ण D-18 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त D-18	728
43	गोपाल	रामनिवास	पूर्ण VD. - D-19	12*25	जवाब प्राप्त	729
44	जयराम जयसिघानी	गोपालदास	पूर्ण D-20 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	730
45	आशीष कुमार चस्पा	पूरनमल	पूर्ण V.D. D-21	12*25	जवाब प्राप्त	731
46	उमा जयसिघानी	जयराम जयसिघानी	पूर्ण D-22	12*25	जवाब प्राप्त	732
47	ब्रजलाल पलोड़		पूर्ण D-23	12*25	जवाब प्राप्त	733
48	प्रशांत	सुभाषचन्द अग्रवाल	पूर्ण D-24 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	734
49	सुभाषचन्द जैन	शांतिलाल जैन	पूर्ण D-25	12*25	जवाब प्राप्त	735
50	श्रद्धा जैन	विशाल जैन	पूर्ण D-26	12*25	जवाब प्राप्त	736
51	विशाल जैन मांगीलाल	महावीर जैन शांतिलाल	पूर्ण D 27 (B.P.)	12*25 कंपाउंड	जवाब प्राप्त	737
52	सुनीता जैन	महावीर जैन	पूर्ण D-29 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	738
53	महावीर जैन	मांगीलाल जैन	पूर्ण D-28	12*25	जवाब प्राप्त	739
54	नारायण दास	सेवकराम	पूर्ण D-30	12*25	जवाब प्राप्त	740
55	पूजाजैन	वैभव जैन	पूर्ण D-31	12*25.	जवाब प्राप्त	741
56	दिनेश भावसार		पूर्ण D 32 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	742
57	दुर्गा (सोनल)	नारायणदास	पूर्ण D-33 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	743
58	पीरूलाल कोचर	राजमल कोचर	पूर्ण D-34 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त	744
59	राजकुमार	हिम्मतलाल अचलिया	पूर्ण D-35	12*25	जवाब प्राप्त	745

(3)

60	उषा	ज्ञानचन्द कोचर	पूर्ण D-36 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त 746
61	मनीष कोठारी		पूर्ण V.D. D-38	12*25	जवाब प्राप्त 747
62	महावीर कुमार	गेंदालाल	पूर्ण	12*25	748
63	मो.उस्मान	जहूर अहमद	पूर्ण D-39	12*25	जवाब प्राप्त 749
64	मो.इमरान	मो. शरीफ	पूर्ण D-40	12*25	जवाब प्राप्त 750
65	अजय कुमार जैन	सबमरमल जैन	पूर्ण D-41	12*25	जवाब प्राप्त 751
66	अ. हमिद	निसार मोहम्मद	पूर्ण D-42	12*25	जवाब प्राप्त 752
67	खेरुनिसा	मंजूर अहमद	पूर्ण D-43	12*25	जवाब प्राप्त 753
68	राजकुमार चस्पा	आनंदीलाल	पूर्ण D-44	12*25	जवाब प्राप्त 754
69	सुनील	हस्तीमल गादीया	पूर्ण D-45	12*25	जवाब प्राप्त 755
70	रमेश चन्द्र	राकेश कुमार	पूर्ण	12*25	756
71	पंकज परमार	मनोहर परमार	पूर्ण D-47 (B.P.)	12*25	जवाब प्राप्त 757
72	सुशीला	महेंद्र जैन	पूर्ण D-49	12*25	जवाब प्राप्त 758
73	श्रसुशीला	महेंद्र जैन	पूर्ण D-49	12*25	जवाब प्राप्त 759
74	रितेश आहूजा	जवाहर आहूजा	पूर्ण V.D. D-50	12*25	जवाब प्राप्त 760
75	सुमित आहूजा	जवाहर आहूजा	पूर्ण D-51 (B.P.)	12*25	761
76	भागवंतीबाई	ओमप्रकाश तिवारी	आंशिक (34 x 20)	700 वर्गफीट	जवाब प्राप्त 762
77	शंकरलाल जायसवाल	कन्हैयालाल	आंशिक (R)	21*15	जवाब प्राप्त 763
78	राजेश	बालकिशन	पूर्ण (R)	33*25	764
79	ममताबाई	रानप्रकाश बाथम	पूर्ण	9*25	765
80	जगदीश बाथम चस्पा		पूर्ण	12*9	जवाब प्राप्त 766
81	युसूफ	मासूम अली तेजकुवरपतिरामप्रसाद	पूर्ण (R)	24*14.7	767
82	सुन्दरलाल	नंदराम	पूर्ण	20*32	768
83	राजेंद्र	कैलाश	पूर्ण	17*12	769
84	कैलाश	नंदराम	पूर्ण	19*20	जवाब प्राप्त 770
85	राजेंद्र मकवाना	--	आंशिक (R) (BP)	48*7.5	जवाब प्राप्त 771
86	भागीरथ	मादू जी	पूर्ण ND	15*25	772
87	मंजय यादव	नारायण यादव	पूर्ण	39*14	जवाब प्राप्त 773
	दुर्गाबाई	कैलाशचन्द	पूर्ण ND	19*28	जवाब प्राप्त 774
88	रंजना	हल्का जी	पूर्ण ND	14.4*55	775
89 अधूरी	मागीलाल चस्पा	कन्हैयालाल	पूर्ण	15*20	776
90	रेशमबाई (Z-1)	रामप्रसाद	पूर्ण	15*20	
91	ताराबाई (Z-1)				

नोटः- 1.उपरोक्त सूचि मोके पर उपस्थित लोगों द्वारा बताए अनुसार बनाई गई है।
1.उपरोक्त सूचि मोके पर सडक एवं वाटर वर्क्स कार्यालय स्थित हैं।
2.रकबा 0.313 हे .भूमि पर मोके पर सडक एवं वाटर वर्क्स कार्यालय स्थित हैं।

8

(4)

क्रमांक	नाम	पिता /पति	पूर्ण /आंशिक	क्षेत्रफल <वर्ग फीट में>	अन्य विवरण	
	मूलचंद यादव (Z-1)	चस्पा किया	✓ आंशिक	400 वर्गफीट		777
	चेरिटेबल ट्रस्ट	--	✓ आंशिक	600 वर्गफीट	जवाब प्राप्त	778
✓	रामरतीबाई चस्पा	रूपसिंह	✓ आंशिक (R)	26*10	जवाब प्राप्त	779
✓	जे के सक्सेना आभा	जितेन्द्र	✓ आंशिक (R)	22*40*11	जवाब प्राप्त	मुख्तारपत्र [illegible] (780)
5 ✓	जितेन्द्र चस्पा	गोविन्दसिंह	✓ आंशिक (R)	15*17	जवाब प्राप्त	781
6 ✓	शंकरसिंह	देवेन्द्रसिंह	✓ आंशिक	16*16		782
7 ✓	मथुरालाल शास्त्री		✓ आंशिक	24.5*10		783
8 ✓	संजय तिवारी	छोटे लाल तिवारी	✓ आंशिक	15*17		784
9	आशा खगार	सुरेश खगार	✓ आंशिक (R) (22.8×23.1)	22.6*28	जवाब प्राप्त	785

नोट:- उपरोक्त सूचि मोके पर उपस्थित लोगो द्वारा बताए अनुसार बनाई गई

Annexure 1-B

पंचनामा (1) गोवर्धन सागर

आज दिनांक 09/02/2026 को [illegible] के निर्देशानुसार गोवर्धन सागर [illegible] मार्ग, उज्जैन का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन के [illegible] दल — श्री [illegible] वैज्ञानिक, [illegible] कॉलोनी, [illegible] मार्ग द्वारा संयुक्त रूप से नगर पालिक निगम, उज्जैन की [illegible] सिंह
क्र.4 [illegible] की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान तालाब के चारों तरफ बनी आवासीय कॉलोनी यथा बी.सी. [illegible] मार्केट, [illegible] कॉलोनी, गणेश टेकरी, पटेल नगर से उत्पन्न होने वाले घरेलू दूषित जल के निष्पादन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। [illegible] कॉलोनी के लगभग 20-30 घर जो कि तालाब [illegible] में बने हुए हैं उनका घरेलू दूषित जल गोवर्धन सागर के घरों में बनी नालियों के माध्यम से (अल्प मात्रा में) मिलना पाया गया। [illegible] कॉलोनी के [illegible] बने घरों का घरेलू दूषित जल [illegible] द्वारा निर्मित सीवर लाइन में जाता है। [illegible] मार्केट के तालाब किनारे बने हुए घरों से उत्पन्न दूषित जल गोवर्धन सागर में मिलना नहीं पाया गया। मार्केट परिसर में हनुमान मंदिर के समीप बने चेम्बर में (ड्रेनेज लाइन से होकर एकत्र होता है) एकत्रित दूषित जल पंपिंग स्टेशन द्वारा [illegible] निर्मित सीवरेज लाईन में जाता है। तालाब के [illegible] भाग से जल नमूना एकत्रित किया गया। [illegible] मार्केट, उज्जैन की जानकारी श्री [illegible] द्वारा दी गई। एक-दो मकानों पर ड्रेनेज व्यवस्था एवं बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था दिखाई गई।

[illegible] (signature)
Dilip [illegible]
दिलीप [illegible]

(1/4)

Scanned with CamScanner

गोवर्धन सागर के इधर और गणेश टेकरी और कर्तव्य नगर रहवासी क्षेत्र के उत्पन्न होने वाला मलिन दूषित जल तालाब में मिलना नहीं पाया गया।

(2) <u>विष्णु सागर</u>

विष्णु सागर के निरीक्षण के दौरान तालाब में किसी प्रकार का दूषित जल मिलना नहीं पाया गया। तालाब का जल नमूना एकत्रित किया गया।

(3) <u>पुरुषोत्तम सागर</u>

पुरुषोत्तम सागर के निरीक्षण के दौरान तालाब में किसी प्रकार का दूषित जल मिलना नहीं पाया गया। तालाब के मध्य भाग से जल नमूना एकत्रित किया गया।

(4) <u>क्षीर सागर</u>

क्षीर सागर के निरीक्षण के दौरान सागर में किसी प्रकार का दूषित जल मिलना नहीं पाया गया। सागर से जल नमूना एकत्रित किया गया।

निरंतर

द(2/4)

Scanned with CamScanner

(5) पुष्कर सागर

पुष्कर सागर के निरीक्षण के दौरान सागर में किसी प्रकार का दूषित जल मिलना नहीं पाया गया। सागर के जल नमूना एकत्रित किया गया।

(6) रत्नाकर सागर

आज दिनांक 10/02/2026 को रत्नाकर सागर का निरीक्षण किया गया। तालाब में दूषित जल मिलना नहीं पाया गया। तालाब के जल नमूना एकत्रित किया गया। तालाब जल संसाधन विभाग किया गया। यह तालाब जल संसाधन विभाग के नियंत्रण में है एवं शहर में जल प्रदाय हेतु तालाब के पानी का उपयोग किया जाता है (प्राप्त जानकारी के अनुसार)

पृ (3/4)

Scanned with CamScanner

Annexure 1-F

4

(7) रुद्र सागर

आज दिनांक 10/2/26 को रुद्र सागर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तालाब में किसी प्रकार का दूषित जल मिलता नहीं पाया गया। तालाब के मध्य भाग से जल नमूना एकत्रित किया गया।

तालाबों के निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ संलग्न हैं।

ह (4/4)

Devendra Solanki
Chemist
MPPC.B Ujjain.

Vishvendra Singh
Sub Engineer
PHE, Nagar Nigam
Ujjain.

Pratim Khare
Scientist
Regional Office
M.P.P.C.B. Ujjain

सीमांकन प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अनुविभाग उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

विषयः- सीमांकन प्रतिवेदन बाबत।

संदर्भः- 1. माननीय न्यायालय सीताराम दास, षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन के आदेश क्रमांक 497 दिनांक 15/11/2025 एवं आदेश क्रमांक 513/2025 दिनांक 26/11/2025 के पालन में।

2..श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय उज्जैन नगर के आदेश पृ.क्रमांक /एस.डी.एम.नगर/रीडर-1/2025/3493, उज्जैन दिनांक 16/02/2025 के पालन में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के पालन में माननीय न्यायालय षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन सिविल प्रकरण क्रमांक RCSA 1300004/12 ईश्वरलाल विरूद्ध थोक वस्त्र व्यवसायिक सहकारी समिति वादग्रस्त सम्पत्ति स्थित मोहल्ला देहली दरवाजा बियाबानी फाजलपुरा कस्बा उज्जैन स्थित सर्वे क्रमांक 1312 एवं 1281 का सीमांकन नवीन तकनीक रोवर पद्धति से किये जाने एवं निर्धारित बिन्दुओं की जानकारी चाही गई हैं। जिसके संबंध में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय उज्जैन नगर के द्वारा सदर्भित आदेश में गठित सीमांकन दल में शामिल श्रीमती शैफाली जैन, तहसीलदार उज्जैन नगर, श्री माधवप्रसाद मोगरे सहा.अधीक्षक भू-अभिलेख , श्री दरियावसिंह भूरों, नायब तहसीलदार कोठी महल, श्री गोवर्धन राजोरिया, नायब तहसीलदार उज्जैन नगर, श्री कमल प्रसाद मेहरा राजस्व निरीक्षक, तहसील उज्जैन नगर, श्री मोहम्मद सादिक खान, राजस्व निरीक्षक तहसील कोठीमहल, श्री अमित जाटव राजस्व निरीक्षक उज्जैन, श्री प्रियंक पाल, राजस्व निरीक्षक उज्जैन, श्री धीरज निगम, पटवारी कस्बा उज्जैन,एवं श्री त्रिलोक पाटीदार, पटवारी कस्बा उज्जैन, श्री कमलेश शर्मा, पटवारी तहसील कोठी महल के साथ ग्राम कस्बा उज्जैन स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1312 एवं 1281 के सीमांकन हेतु उभयपक्षों को पूर्व सूचना उपरांत दिनांक 05/12/2025 एवं 08/12/2025 को

निरन्तर-------2

विधिवत मौके पर उपस्थित हुए। दिनांक 05/12/2025 को मौके पर सीमांकन हेतु जिला कार्यालय से उपलब्ध रोवर मशीन तकनीकि रूप से कार्य नही करने के कारण दिनांक 05/12/2025 को सीमांकन नही किया जा सका तथा उभयपक्षों को दिनांक 08/12/2025 को सीमांकन हेतु पुनः उपस्थित होने हेतु वक्त पंचनामा में सूचित करते हुए दिनांक 08/12/2025 को मौके पर सीमांकन हेतु उपस्थित हुए।

मौके पर प्रश्नाधीन भूमि मूल सर्वे क्रमांक 1281 एवं 1312 का सीमांकन पटवारी नक्शा में दर्ज सर्वे नंबर की आकृति अनुसार मौके पर उपलब्ध सीमा चिन्ह के रूप में सर्वे क्रमांक 1339 के मध्य रास्ते एवं सर्वे क्रमांक 1277 के रास्ते तिराहे के मध्य से मिलान करते हुए GNSS रोवर के माध्यम से सीमांकन किया गया। तदनुसार सीमांकन में भूमि सर्वे क्रमांक 1281 के दक्षिणी भाग (1312 की सीमा से लगी हुई भूमि) पर रकबा 0.098 हेक्टेयर भूमि पर थोक वस्त्र व्यवसायी सहकारी समिति मर्यादित विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट की व्यावसायिक सह आवासीय पक्के निर्माण होना पाया गया तथा इसके अतिरिक्त सर्वे नंबर 1281 के पश्चिम एवं उत्तर-पूर्वी भाग पर रकबा 0.385 हेक्टेयर रकबे पर आवासीय एवं व्यवसायिक पक्के निर्माण होना पाया गया। मौके पर सीमांकन के दौरान विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षकर करने से मना किया गया।

वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रचलित वाद क्रमांक RCSA1300004/12 में माननीय न्यायालय द्वारा वांछित बिन्दुओं के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैं:-

1. कस्बा उज्जैन स्थित भूमि मूल सर्वे क्रमांक 1312 एवं 1281 का सीमांकन दिनांक 08/12/2025 को किया गया।
2. बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी संबंधित विभाग से लिया जाना उचित हैं।
3. सीमांकन उपलब्ध नवीनमत तकनीक GNSS रोवर से किया गया हैं।
4. सीमांकन हेतु कुशल व्यक्तिगण का दल का गठन कर सीमांकन किया गया हैं।
5. बिन्दु क्रमांक 5 की जानकारी निरंक हैं।

माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार भूमि सर्वे क्रमांक 1281/1/1 का नक्शे में चिन्हांकन किये जाने के संबंध में निवेदन हैं कि उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 1281/1/1 नक्शा बटांकन नही होने तथा वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1281 का अधिकांश भाग जलीय क्षेत्र होने से बटांकन संभव नही होने से उसकी स्थिति सुनिश्चित करना एवं नक्शे में चिन्हांकन करना संभव नही हैं।

16

निरन्तर.......3

अत: प्रतिवेदन श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न:-

1. पंचनामा
2. सूचना पत्र
3. नक्शा ट्रेस
4. फील्ड बुक

हस्ताक्षर सीमांकन दल

(शेफाली जैन)
तहसीलदार उज्जैन नगर

(माधव प्रसाद मोगरे)
सहा.अधीक्षक भू-अभिलेख जिला उज्जैन

(दरियावसिंह भूरा)
तहसीलदार कोठी महल

(गोवर्धन राजोरिया)
नायब तहसीलदार, उज्जैन नगर

(कमल प्रसाद मेहरा)
राजस्व निरीक्षक उज्जैन नगर

(मोहम्मद सादिक खान)
राजस्व निरीक्षक कोठी महल

(अमित जाटव)
राजस्व निरीक्षक तहसील उज्जैन

(प्रियंक पाल)
राजस्व निरीक्षक, तहसील उज्जैन

(धीरज निगम)
पटवारी कस्बा उज्जैन

(त्रिलोक पाटीदार)
पटवारी कस्बा उज्जैन

(कमलेश शर्मा)
पटवारी, तहसील कोठीमहल

17

18

नजरी नक्शा सर्वे नंबर 1281

ग्राम कस्बा उज्जैन, प.ह.न.-05, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

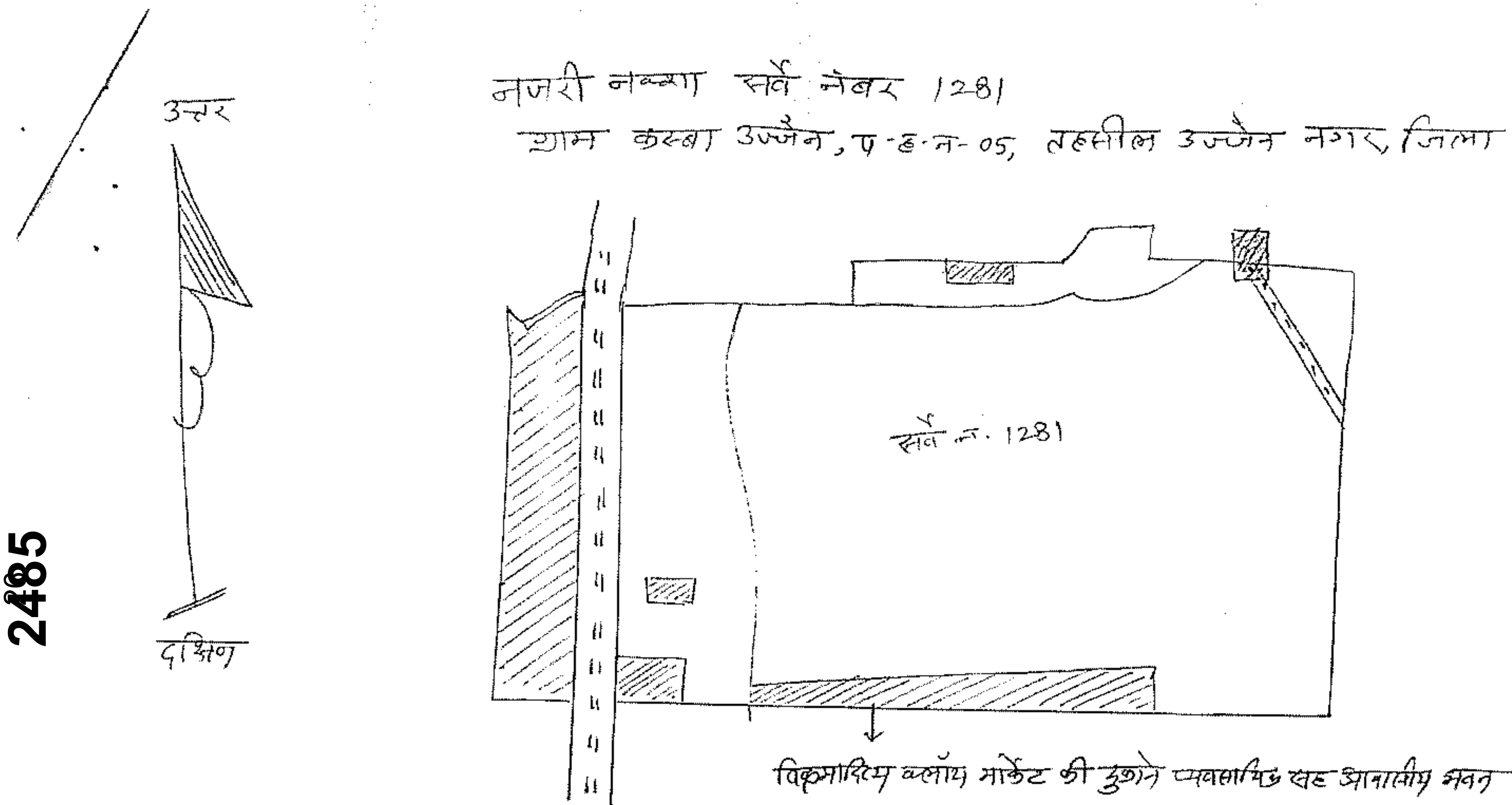

संकेत :- ▨ सर्वे नंबर 1281 पर निर्मित क्षेत्र

पंचनामा

दिनांक 05/12/2025

हम उपस्थित पंचान व हस्ताक्षरकर्ता पंचनामा तस्दीक करते है कि, आज दिनांक 05/12/2025 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन नगर के आदेश क्र./एस.डी.एम. नगर/रीडर-1/2025/3493 दिनांक 01/12/2025 के पालन में माननीय न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड उज्जैन के सिविल वा.क्र. RCSA 1300004/12 ईश्वरलाल विरुद्ध थोक वस्त्र व्यवसायी सहकारी समिति बाद प्राप्त संपत्ति स्थित कस्बा उज्जैन के भूमि सर्वे क्र. 1312 व 1281 के सीमांकन हेतु गठित दल मौके पर उपस्थित हुए। मौके पर सीमांकन हेतु जिला कार्यालय भू-अभिलेख से उपलब्ध ~~[illegible]~~ रोवर मशीन तकनीकि रूप से कार्य नहीं कर पाने के कारण सीमांकन नहीं किया जा सका। उक्त सीमांकन दिनांक 08/12/2025 को किया जावेगा। नक्ल पंचनामा उभयपक्षों को सूचित किया गया।

अतः पंचनामा तस्दीक किया सो सही है।

[signatures]

08/12/25 को प्रातः 11 बजे की सूचना दी गई है।

5/12/25
(ईश्वर H पटेल)

05-12-25
(सहा. भू अभिलेख गृह निर्माण उज्जैन)

Mohsin Khan

PHN-05

Rammilesh

पंचनामा

दिनांक 08/12/2025

हम उपस्थित पंचान व हस्ताक्षरकर्ता, पंचनामा तस्दीक करते है कि आज दिनांक 08/12/2025 को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग उज्जैन नगर के आदेश क्र. /एस.डी.एम. नगर/ (रीडर-1)/2025/3493 उज्जैन दिनांक 01/12/2025 के पालन में माननीय न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड उज्जैन में लंबित सिविल प्र.क्र. RCSA/300004/12 ईश्वरलाल विरुद्ध थोक वस्त्र व्यवसायी सहकारी समिति में वादग्रस्त संपत्ति स्थित मोहल्ला देहली दरवाजा बियाबानी जावलपुरा उज्जैन स्थित सर्वे क्र. 1312 एवं 1281 का सीमांकन गठित दल द्वारा उभयपक्षों को विधिवत सूचना उपरांत उभय पक्षों की उपस्थिति में उपलब्ध सीमा चिन्हों सर्वे क्र. 1339 के मध्य रास्ते, सर्वे क्र. 1277 के मध्य रास्ते को आधार मानकर पटवारी नक्शे में दर्ज नक्शा आकृति अनुसार टी.एस.एम. रोवर से सीमांकन किया गया सीमांकन के दौरान भूमि सर्वे क्र. 1281 के दक्षिणी भाग पर 0.098 हे. पर थोक वस्त्र व्यवसायी सहकारी समिति द्वारा व्यावसायिक दुकान निर्मित है। समस्त सीमांकन उभयपक्ष मौके पर उपस्थित रहे। विस्तृत प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः पंचनामा तस्दीक किया सो सही।

निशान पॉइंट सही नहीं लिये। 1281 नंबर एवं 1312 का सीमांकन पूर्ण नहीं किया। अतः सहमत नहीं असंतुष्ट हूँ

ईश्वरलाल 8/12/25
ईश्वरलाल पटेल

PHN/05

श्री मोहन सिंह
प्रतिनिधि / असंतुष्ट

सत्येन्द्र माहुरकर

R.I.

20

कार्यालय पटवारी हल्का नं. 05 तह. उज्जैन नगर जि. उज्जैन
क्रमांक / रस / प. /2025
उज्जैन दिनांक 03/12/2025

सूचना-पत्र

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड उज्जैन में लंबित सिविल प्रक. RCSA 1300004/12 ईश्वरलाल विरुद्ध थोक वस्त्र व्यवसायिक सहकारी समिति के वाद में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 1281 एवं 1312 का सीमांकन, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन नगर जिला उज्जैन के सीमांकन आदेश क्र. / एस.डी.एम. नगर / रीडर-1 /2025/ 3493 उज्जैन दिनांक 01/12/2025 द्वारा गठित दल द्वारा दिनांक 05/12/2025 को किया जाना है।

अतः उल्लेखित दिनांक को उभयपक्ष मौके पर उपस्थित रहे। अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में भी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

(हस्ताक्षर)
पटवारी 05

1. ईश्वरदास s/o जयरामदास
2. लक्ष्मणदास s/o जयरामदास
3. गोरधनदास s/o हेमनदास
4. ईश्वरलाल s/o हेमनदास
5. कन्हैयालाल s/o हेमनदास
6. थोक वस्त्र व्यवसायी सहकारी समिति मर्यादित विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट मालनपुरा उज्जैन

(हस्ताक्षर) 4/12/2025 10:15

(हस्ताक्षर) 4.12.2025 10-45

क्षेत्र नक्शा ग्राम-कस्बा उज्जैन प.ह.नं. - 05

राजस्व निरीक्षक वृत्त - 01 तह. उज्जैन नगर जि. उज्जैन

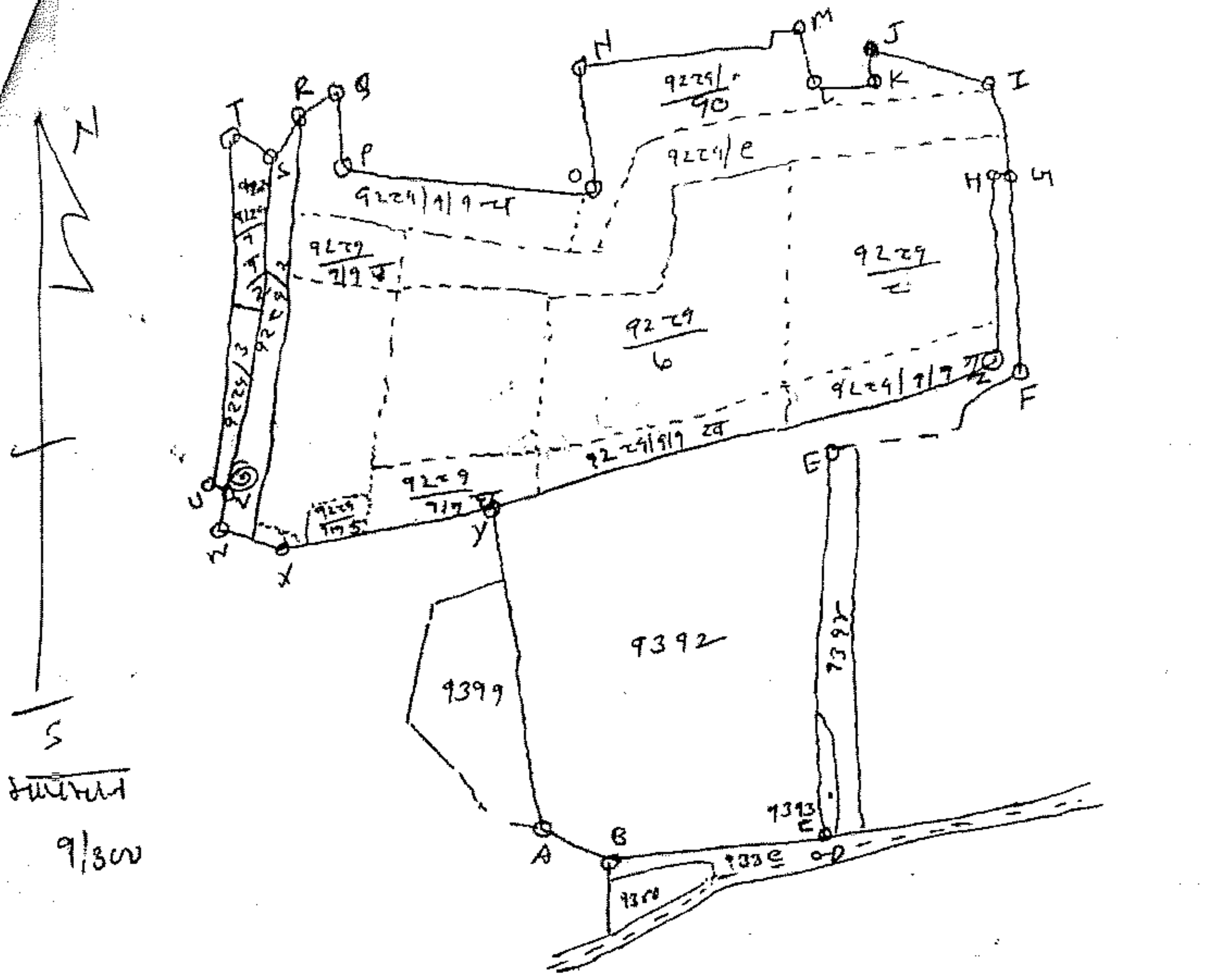

आनंद सिंह

प.ह.नं. 05

फील्ड बुक

सर्वे क्र. (1281, 1312) भाग कस्बा उज्जैन

चिन्ह	दूरी (मीटर में)
AG	1.20
BC	4.80
CD	0.30
CE	8.70
EF	4.60
FG	4.20
GH	0.40
GI	2.20
IJ	2.90
JK	0.70
KL	1.30
LM	1.30
MN	5.00
NO	2.80
OP	5.70
PQ	1.50
QR	1.00
RS	1.20
ST	0.90
TU	7.60
UV	0.25
VW	0.90
WX	1.50
XY	5.00
YZ	11.70
HZ	3.90

PHN-05

नजरी नक्शा सर्वे नंबर 1281

ग्राम कस्बा उज्जैन, प.ह.न.-05, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

24

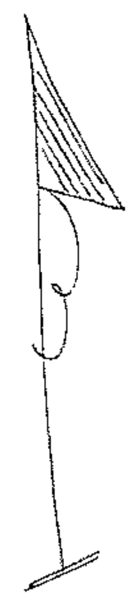

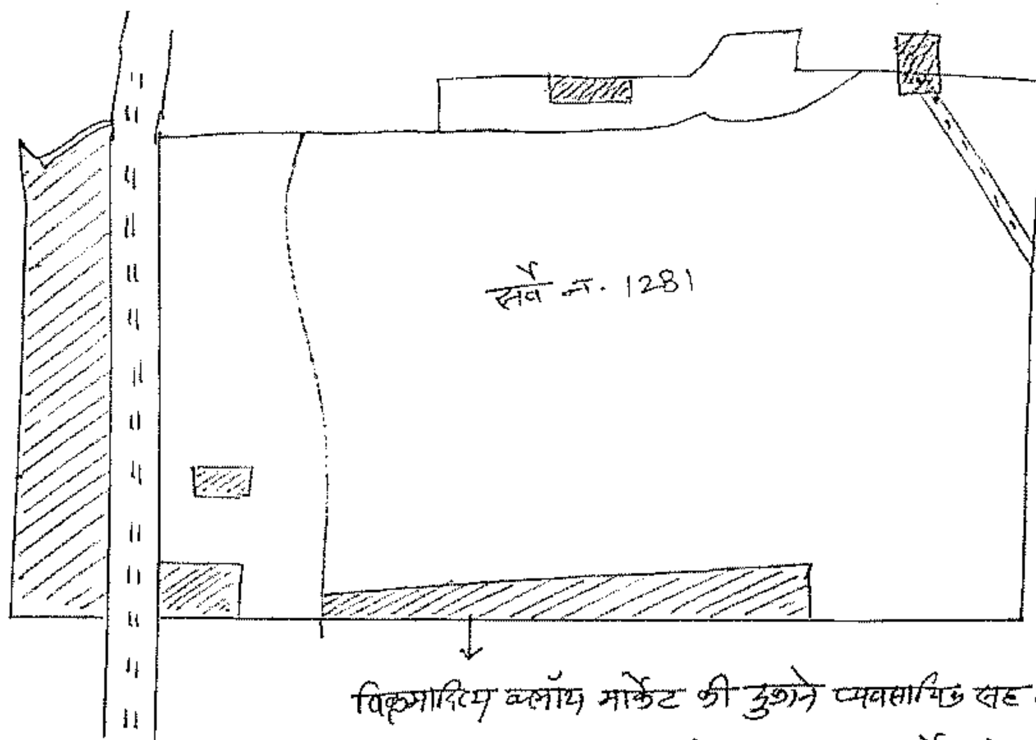

संकेत:- ▨ सर्वे नंबर 1281 पर निर्मित क्षेत्र

[signature] 05

[signature] 05

2491

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां. संधारण खण्ड नगर पालिक निगम, उज्जैन (म.प्र.)
राजस्व कालोनी दशहरा मैदान टंकी फ्रीगंज, उज्जैन, फोन 0734-2535305
Email: - eephenpnujjain@gmail.com

क्रमांक 960 /कां.यं./लो.स्वा.यां.वि./ 2026 — उज्जैन, दिनांक 17.02.2026

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
झोन क्रं. 2,
नगर पालिक निगम, उज्जैन

विषय :– गोर्वधन सागर में अल्पमात्रा में अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के संबंध में।

संदर्भ :– सहायक यंत्री, झील प्रकोष्ठ, उज्जैन का पत्र क्रं. 125 दिनांक 16.02.2026।

—00—

उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि सहायक यंत्री झील प्रकोष्ठ के संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि गोर्वधन सागर में श्रीराम कॉलोनी के कुछ घरों द्वारा अल्पमात्रा में अपशिष्ट जल का निकास हो रहा था जिसे विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अपशिष्ट जल के निकास को गोर्वधन सागर में मिलने से रोका गया। अतः वर्तमान में किसी भी तरह का अपशिष्ट जल गोर्वधन सागर में नहीं मिल रहा है।

कार्यपालन यंत्री
लोक.स्वा.यां. संधारण खण्ड
नगर पालिक निगम, उज्जैन

25

STC

Intertek
ISO 9001:2015

Shah Technical Consultants Private Limited

CONSULTING ENGINEERS

House No.:- 36, Mahakaleshwar Sindhi Colony, Ujjain (M.P.) - 456010

Phone:

E-Mail: reujjain.stcamrut2@gmail.com

क्र: एस.टी.सी. / अमृत – 2.0 / उज्जैन / 2026 / 293 दिनांक :– 18/02/26

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
झोन क्र. 02, 03
नगर पालिक निगम
उज्जैन (म.प्र.)

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल प्रकरण क्रमांक 20 / 2025 (CZ) (प्रशांत मौर्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) With प्रकरण क्रमांक 11 / 2025 (CZ) (I.A.- No- 115/2024 & I.A. 123/2025) (बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 23.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत।

संदर्भ :– आपका पत्र 2026 / 209 दिनांक 16.02.2026

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि श्रीराम कॉलोनी के ढाल वाले क्षेत्र में बने हुए 20–30 घरों से उत्पन्न होने वाले घरेलु दुषित जल का गोवर्धन सागर में मिलने से रोकने हेतु अमृत – 1.0 अन्तर्गत सीवरेज परियोजना के माध्यम से पाइप लाइन डालने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । जिससे उक्त घरों से निकलने वाले सीवेज को टेप कर गोवर्धन सागर में मिलने से रोक दिया गया है ।

रेसीडेन्ट इंजीनियर
शाह टेक्निकल कंसल्टेंट
उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिलिपि:–

1 आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2 अपर आयुक्त, , नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
3 अधीक्षण यंत्री, नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

कार्यालय, नगर पालिक निगम उज्जैन (म.प्र.)

(छत्रपति शिवाजी भवन, आगर रोड़ उज्जैन (म.प्र.) 456006 contact 0734-2550659)

प्रस्तुत सूची दिनांक 22.07.2022 कस्बा पटवारी हल्का नं. 5 अनुसार

क्र.	अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	स्थाई अतिक्रमण हटाये गए की संख्या	विभिन्न न्यायालय हाईकोर्ट/सिविल कोर्ट से प्राप्त स्टे की संख्या	शेष अतिक्रमण कर्ता जिनके द्वारा स्टे प्राप्त नही किया गया है।	अतिक्रमण नही हटाये जाने का कारण
1	100	7	57	36	संबंधितो के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्ट्री, नामांतरण भवन निर्माण परमिशन, न्यायालय तहसीलदार का आदेश दिनांक 31.05.1983 एवं विभिन्न सर्वे नं. 1289, 1286, 1116, 1117, 1112 पट्टा 31 जुलाई 2008 का परिक्षण सक्षम प्राधीकारी द्वारा किया जाने उपरांत आदेशानुसार कार्यवाही की जावेंगी।

2495

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. 31/2026

In the matter of:

MONU RAJA — **APPLICANT(S)**

Versus

UNION OF INDIA & ORS. — **RESPONDENTS**

I, the Petitioner/ Appellant/ Applicant/ Claimant/ Respondent/ Non-Applicant/ Defendant named below do hereby appoint, engage and authorise advocate(s) named below to appear, act and plead in aforesaid case proceedings which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders , corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the appellate, revisional or executing court in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorise them to sign and file pleadings, appeal, cross objection for the prosecution/defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by them as if done by us:

In witness whereof we do hereunto set our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by us, this day of , __________.

Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama

Name & Father's/ Husband Name	Registered Address	E-Mail address (if any)	Telephone No. (if any)	Status in the case	Full Signature/ Thumb Print
Shashwat Sharma S/o Late Shri Shashikant Sharma	posted as – Upper Collector, Ujjain, office at – Upper Collector, Collectorate, Ujjain (M.P.)			RESPONDENT	

Accepted:

Particulars (in block letters) of each Advocate Accepting Vakalatnama

Name and Enrollment No. in State Bar Council	Address for Service	E-Mail Address (if any)	Telephone Number	Full Signatures
PRASHANT M. HARNE MP/610A/1995	240, UCI LAWYERS CHAMBERS, ARERA HILLS, BHOPAL		9425041311	
MEHUL BHARADWAJ				